समाहरणालय, मधुबनी

(जिला स्थापना शाखा)

—: आ दे श :—

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी के पत्रांक—1210/सा0 दिनांक 03.10.2015 द्वारा अन्य के साथ—साथ श्री अरूण कुमार झा, सेवानिवृत्त लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, सदर, मधुबनी के द्वारा सूचना का अधिकार के तहत प्रथम अपील आवेदन एवं राज्य सूचना आयोग से प्राप्त पत्र का उपस्थापन नहीं किये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन की स्थिति का प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को नहीं भेजे जाने के आरोप में श्री झा, से0नि0 लिपिक के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र—'क' में गठित कर ससाक्ष्य भेजा गया।

अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी के पत्रांक—1210/सा0 दिनांक 03.10.2015 द्वारा वर्णित आरोप के लिये गठित आरोप पत्र प्रपत्र—'क' पर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 529/जि0स्था0, दिनांक 26.03.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मधुबनी एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी को नियुक्ति की गयी। संचालन पदाधिकारी को 90 दिनों के अंदर विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मधुबनी—सह—संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 360/वि0जाँ0, दिनांक 23.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन के उपरान्त अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ भेजी गयी। उनके द्वारा दिनांक 22.09.2016 को अंतिम सुनवाई करते हुये अभिलेखबद्ध जाँच प्रतिवेदन में आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण तथा उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्न प्रकार अंकित किया गया है :—

आरोप :—

1. प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 10428, दिनांक 02.12.2013 जो वाद संख्या 88434/12—13 से संबंधित है, दिनांक 03.02.2014 को आपको हस्तगत कराया गया। श्री विरेन्द्र महतो, ग्राम—कसियौना, पो0— राजनगर, जिला—मधुबनी द्वारा राज्य सूचना आयोग में अपील दायर किया गया था।
2. उपरोक्त पत्र का उपस्थापन आपके द्वारा नहीं किया गया। जबकि उक्त वाद की सुनवाई की तिथि दिनांक 01.08.2014 को निर्धारित थी।
3. आपके द्वारा पत्र उपस्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रथम अपील आवेदन की स्थिति का प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को नहीं भेजा जा सका।
4. इस प्रकार आपके द्वारा उक्त पत्र का उपस्थापन नहीं कर अपने कर्त्तव्यों का सम्यक निर्वहन नहीं किया गया।

आरोपी का स्पष्टीकरण :—

1. श्री अरूण कुमार झा, सेवानिवृत्त लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, सदर, मधुबनी का कथन है कि प्रासंगिक जिला पदाधिकारी के पत्र तथा भवदीय ज्ञा0 सं0 111/दिनांक 06.06.2016 के प्रसंग में मेरे विरूद्ध चार आरोप शामिल किये गये हैं, परन्तु आरोप का सारांश यह है कि राज्य सूचना आयोग के वाद संख्या 88434/12—13 में दिनांक 25.11.2013 को पारित आदेश संबंधित प्राप्त पत्र संख्या 10428 दिनांक 02.12.2013 का उपस्थापन मेरे द्वारा नहीं करने के कारण अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सूचना आयोग को नहीं भेजा जा सका, जो मेरे सम्यक कर्त्तव्य निर्वहन का प्रतीक नहीं है।

इस संदर्भ में मैं भवदीय का ध्यान राज्य सूचना आयोग के पारित आदेश दिनांक 25.11.2013 की ओर आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिसमें आवेदक श्री बिरेन्द्र महतो के प्रथम अपील आवेदन दिनांक 04.01.2013 का उल्लेख है, सूचना के विषय का उल्लेख नहीं है। यह अपील आवेदन पत्र प्राप्त होने की जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि उस समय मैं उस का प्रभारी नहीं था।

कार्यालय में श्री महतो का एक अपील आवेदन पत्र दिनांक 27.12.2012 को प्राप्त हुआ था जो तत्कालीन प्रभारी लिपिक श्री मधुप के नाम दृष्टांकित किया गया है। विषय का सम्बन्ध करहिया पूर्वी पंचायत (राजनगर) में चापाकल गाड़ने आदि से है। यह आवेदन पत्र संभवतः मुझे श्री मधुप जी से प्रभार ग्रहण के समय प्राप्त हुआ होगा।

इस अपील आवेदन–पत्र पर प्रथम तिथि 26.12.2013 को ही अनु0 पदाधिकारी ने जनसूचना (प्र0वि0पदा0, राजनगर) को वांछित सूचना दि0 02.01.2014 तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया और सूचना उपलब्ध नहीं कराने के लिए उनसे स्पष्टीकरण माँगा गया जिनका ज्ञा0 सं0 2010 दिनांक 27.12.2013 है, साथ ही उसकी प्रतिलिपि अपीलकर्त्ता श्री महतो को भी दी गयी है। आगे अगली दो तिथियों 04.01.2014 तथा 13.01.2014 को प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुपस्थित रहे परन्तु अपीलकर्त्ता उपस्थित थे। इस प्रकार यह अपील आवेदन पत्र निष्पादित कर दिया गया।

ऐसा ही एक अपील आवेदन पत्र श्री महतो से दिनांक 10.02.2013 को प्राप्त हुआ था जिसका विषय भी पूर्व का ही है। दोनों अपील आवेदन पत्र अलग–अलग है, क्योंकि पोस्टल ऑर्डर संख्या 13F147798 तथा 15F334191 है। विदित हो कि श्री महतो का विभिन्न प्रकार की सूचना के लिए आवेदन पत्र/अपील आदि करना एक प्रकार का पेशा था।

जहाँ तक आयोग के उपरोक्त पत्र संख्या 10428 दिनांक 02.02.2013 के उपस्थापन का प्रश्न है श्री मधुप से मुझे एतद् विषय की संचिका का प्रभार संभवतः फरवरी, 2014 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त हुआ, जबकि मुझे पूर्व से ही कार्य, दंडा0 के न्यायालय के न्यायिक अभिलेखों का संधारण का कार्य था। अभिलेखों की संख्या काफी थी। उसके अतिरिक्त वृद्धावस्था पेंशन (दो प्रखंडों का) के साथ भू–संपरिवर्त्तन संबंधित संचिकाओं का प्रभार था। मैं पूर्व से हृदयरोगी हूँ, उसके कारण मैंने प्रभार कम करने का अनुरोध भी तत्कालीन अनु0 पदा0 से किया था परन्तु उसके विपरीत सूचना के अधिकार संबंधित संचिका/अभिलेखों का प्रभार देकर कार्य बोझ बढ़ा दिया गया। विदित है कि उसी वर्ष (2014) में संसदीय चुनाव हुआ था, जिसके लिये तैयारी आदि का कार्य आरंभ हो गया। ऐसा हर चुनाव में होता है। सभी विभागीय कार्य निर्वाचन कार्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मुझे दिनांक 31.07.2014 को सेवा निवृत होना था, उसके कारण मैं अपने कार्य का प्रभार सौंपने की तैयारी में व्यस्त हो गया और सेवा निवृत्त से पूर्व ही उस संचिका का प्रभार श्री एकराहमुल्लाह, लिपिक को सौंप दिया। उपयुक्त परिस्थिति में पत्र का उपस्थापन नहीं किया जा सका। उसे दबाने का मेरा कोई उद्येश्य नहीं था। ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह कार्य बोझ, संसदीय निर्वाचन कार्य में व्यस्तता तथा सेवा निवृत्ति के कारण कार्य सौंपने में व्यस्तता के कारण हुआ है। यह परिस्थितिजन्य भूलचूक है।

अतः प्रार्थना है कि मेरा स्पष्टीकरण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये स्वीकार की जाय तथा मुझे दोषमुक्त करने की कृपा की जाय।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य :–

1. उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री अरूण कुमार झा, सेवानिवृत्त लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, सदर, मधुबनी के स्पष्टीकरण पर मंतव्य के संबंध में उल्लेखनीय होगा कि राज्य सूचना आयोग बिहार, पटना के पत्रांक 10428/रा0सू0आ0, दिनांक 01.12.2013 द्वारा प्राप्त पत्र श्री झा, लिपिक के कर्मपुस्त में दिनांक 03.02.2014 को अंकित किया गया। उक्त पत्र अधिकतम 7 दिनों के अन्दर संचिका के माध्यम से अभिलेख सहित उपस्थापित किया जाना चाहिए था, जो इनके द्वारा 31.07.2014 तक उपस्थापित नहीं किया गया।

श्री झा सेवानिवृत्त लिपिक का यह कथन कि "संभवतः फरवरी, 2014 के अंतिम सप्ताह में श्री मधुप से संचिका का प्रभार प्राप्त हुआ" इनका यह कथन सत्य से परे है क्योंकि श्री झा द्वारा दिनांक 26.12.2013 को ही अभिलेख उपस्थापित किया गया है। जहाँ तक श्री झा, लिपिक के जिम्मे कार्य की अधिकता का प्रश्न है तो यह भी तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि 5 माह में एक अदद महत्वपूर्ण पत्र का उपस्थापन में ही बहाना बनाना इनके कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है।

स्पष्टतः श्री अरूण कुमार झा, सेवानिवृत्त लिपिक के द्वारा विभागीय पत्रांक 10428/रा0सू0आ0, दिनांक 02.12.2013 से प्राप्त पत्र उपस्थापन नहीं करने के कारण आयोग की प्रतिवेदन नहीं भेजा जा सका, फलस्वरूप विषम परिस्थिति उत्पन्न हुआ।

अतएव श्री झा, सेवानिवृत्त लिपिक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण मनगढ़ंत और सत्य से परे है, इनके विरूद्ध लगाए गए आरोप साक्ष्य के अनुरूप हैं, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण आरोप प्रपत्र–"क" के प्रतिकूल प्रतीत होते हैं। जो स्वीकार योग्य नहीं है।

संचालन पदाधिकारी का अधिगम, जाँच प्रतिवेदन

गठित आरोप पत्र आरोपित कर्मी का स्पष्टीकरण तथा उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य का परिशीलन किया गया। आरोप पत्र में यूँ तो चार क्रमांक के तहत आरोप गठित किया गया है। परन्तु मूल रूप से आरोप यह है कि 10428/रा0सु0आ0, दिनांक 02.12.2013 श्री झा द्वारा विलम्ब से उपस्थापित किये

जाने के कारण प्रथम अपील की स्थिति से रा0सू0आ0 को अवगत नहीं कराया जा सका, जिससे कार्यालय के समक्ष विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। आरोपी कर्मी ने अपने स्पष्टीकरण में विलम्ब के कई कारण जिसमें उनके द्वारा प्राप्त प्रभार की स्थिति, कार्य अधिकता, हृदय रोगी होना, सेवानिवृत्ति की तैयारी इत्यादि–इत्यादि कारण बताते हुये इस बात को भी स्वीकारा है कि विलम्ब संचिका उपस्थापन में हुआ, परन्तु उनकी मंशा संचिका छुपाने की नहीं थी। इसे इन्होंने परिस्थिति वश भूल–चूक बताया है।

उपस्थापन पदाधिकारी का कहना है कि उपयुक्त वर्णित पत्र आरोपी कर्मी के कर्मपुस्त में दिनांक 03.02.2014 को ही अंकित किया गया, जो उनके द्वारा 31.07.2014 तक उपस्थापित नहीं किया गया। उपस्थापन पदाधिकारी ने आरोपित कर्मी के सारे तर्क जो उन्होंने अपनी भूल के लिए दिया है उसे तर्क संगत ढंग से नकारते हुये प्रपत्र–''क'' में गठित आरोप को सही बताया है।

उपर्युक्त तथ्यों के विचारण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि जब आरोपी कर्मी मैं स्वयं यह स्वीकारा है, कि संचिका/अभिलेख उपस्थापन में विलम्ब हुआ है तो कोई कारण नहीं बनता है कि कहा जाय, कि आरोप गलत है। विचारणीय विषय यह है कि आरोपी कर्मी एक सेवानिवृत्त कर्मी है, और इस प्रकार आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होता है।

द्वितीय कारण पृच्छा :–

अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), मधुबनी के पत्रांक 360, दिनांक 23.09.2016 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति भेजते हुये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18(3) के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक 2183/जि0स्था0, दिनांक 24.12.2016 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी के आलोक में उनके द्वारा दिनांक 18.01.2017 को अपना द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें निम्न बातों का उल्लेख उनके द्वारा किया गया :–

भवदीय ज्ञाप संख्या–2183/स्था0, दिनांक 24.12.2016 जिसके द्वारा मुझे राज्य सूचना आयुक्त, बिहार, पटना के ज्ञाप संख्या–10428 दिनांक 02.12.2013 का उपस्थापन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी के समक्ष नहीं करने के आरोप, प्रमाणित होने के आलोक में द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने को कहा गया है को कृपया इस संदर्भ में लाने की कृपा किया जाय।

इसके अनुपालन में सादर समर्पित करना है कि राज्य सूचना आयोग के उपर्युक्त पत्र का उपस्थापन मेरे द्वारा ससमय नहीं किया जा सका। इसके कारण अपना प्रथम स्पष्टीकरण समर्पित कर चुका हूँ। परन्तु प्रस्तोता पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी) तथा संचालन पदाधिकारी ने उस पर सम्यक रूप से विचार नहीं किया है। प्रस्तोता पदाधिकारी का कथन है कि आरोपी लिपिक द्वारा एक अद्द महत्वपूर्ण पत्र का उपस्थापन नहीं करना कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है आधारहीन है। पत्र अवलोकनोपरान्त महत्व की श्रेणी में मार्क नही किया गया है। यह पत्र अवलोकन के समय ही पदाधिकारी द्वारा महत्वपूर्ण, आवश्यक, तुरन्त तथा शीघ्र आदि अंकित पृष्टांकन करने से उसके उपस्थापन/निष्पादन की ओर कार्यालय का ध्यान आकृष्ट होता है, साथ ही महत्वपूर्ण पत्रों एवं मुख्य पत्रों की प्राप्ति पंजी में प्रविष्टि (डोकेट) किया जाता है। परन्तु राज्य सूचना आयोग के उपर्युक्त पत्र पर ऐसा कोई पृष्ठांकन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मधुबनी द्वारा नहीं किया गया है। इसे समान्य पत्रों की पंजी में ही दर्ज किया गया है। परन्तु उस पत्र को अब महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। राज्य सूचना आयोग के पत्र प्राप्ति से पूर्व ही सम्बन्धित प्रथम अपील निस्तारित किये जा चुके थे। अपील कर्त्ता को इसकी सूचना अगली निर्धारित तिथि से काफी पूर्व ही दी जा चूकी थी। निर्वाचन कार्य के समय सभी विभाग के कार्यालयों में समान्यतः कार्य स्थगित रहते हैं। उससे आम जनता भी अनभिज्ञ नहीं है। मेरी शारीरिक स्थिति तथा कार्य बोझ पर भी विचार नहीं किया गया है। मेरा अभी पुनः दूसरी वार हृदय रोग का शल्य चिकित्सा दिल्ली में हुआ है। मैं स्वास्थ्य लाभ कर रहा हूँ। इस सब के अतिरिक्त अंकिनीय है कि मेरी इस भूल–चूक से सरकार को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। यह एक परिस्थितिजन्य भूल है। इसमें मेरी कोई गलत मंशा तथा हित लाभ नहीं था। यह अक्षम्य नहीं है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मेरा स्पष्टीकरण सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करते हुये दोष मुक्त करने की कृपा प्रदान की जाय।

इस प्रकार श्री अरूण कुमार झा, सेवानिवृत्त लिपिक के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में आरोप गठित किया गया कि राज्य सूचना आयोग का पत्र इनके कर्म पुस्त में दिनांक–03.02.2014 को दर्ज किया गया और उक्त पत्र को ससमय अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप राज्य सूचना आयोग, पटना को ससमय वांछित प्रतिवेदन नहीं भेजा जा सका। श्री झा का कथन है कि राज्य सूचना आयोग से सम्बन्धित पत्र महत्वपूर्ण है। इस आशय का अंकण पदाधिकारी द्वारा उक्त पत्र पर नहीं

किया गया, जिसके कारण उनके द्वारा उक्त पत्र को सामान्य ढंग से लिया गया और श्री झा के दिनांक–31.07.2014 को सेवानिवृत्ति सन्निकट रहने के कारण प्रभार सौंपने की तैयारी करने के कारण उक्त पत्र उपस्थापित ससमय नहीं किये जाने का तर्क मनगढ़ंत एवं तार्किक नहीं है। श्री झा के कर्म पुस्त में उक्त पत्र अंकित किया गया, जिसे उनके द्वारा ससमय उपस्थापित नहीं किया गया, जिसकी स्वीकारोक्ति उनके द्वारा भी किया गया है। उनका द्वितीय कारण पृच्छा बनावटी प्रतीत होता है, जो स्वीकार योग्य नही है। इससे यह ज्ञात होता है कि उनके विरूद्ध गठित आरोप को आरोपी कर्मी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच)–सह–संचालन पदाधिकारी द्वारा भी विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित पाए हैं। अधोहस्ताक्षरी संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत हूँ। साथ ही प्रपत्र–'क' में गठित आरोप, आरोपी का स्पष्टीकरण एवं द्वितीय कारण पृच्छा, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन तथा अभिलेख के साथ संलग्न साक्ष्य के अवलोकन एवं विवेचना से भी यह स्पष्ट होता है कि श्री अरूण कुमार झा (सेवानिवृत्त 31.07.2014), लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, सदर, मधुबनी के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित आरोप प्रमाणित होता है। इनके इस कृत के लिए इन्हें दंडित किया जाना आवश्यक है।

अतएव श्री अरूण कुमार झा (सेवानिवृत्त–31.07.2014), लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, सदर, मधुबनी को सम्यक विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के भाग संख्या–4 के कंडिका–14 के उप कंडिका–(i) में निहित प्रावधानानुसार मैं शीर्षत कपिल अशोक, भा0प्र0से0, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, मधुबनी इन्हें निन्दन का दण्ड अधिरोपित करता हूँ। इस आशय की प्रविष्टि श्री झा, सेवानिवृत्त, लिपिक के सेवापुस्त में लाल स्याही से अंकित की जायेगी। साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

सभी सम्बद्ध को सूचित करें।

ह0—
जिला दण्डाधिकारी
एवं समाहर्त्ता, मधुबनी।

ज्ञापांक 280/जि0स्था0, मधुबनी, दिनांक 17 वीं ~~जनवरी~~ फरवरी, 2018 ई0।

प्रतिलिपि : श्री अरूण कुमार झा (सेवानिवृत्त–31.07.2014), लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, सदर, मधुबनी स्थायी पता– वार्ड नं0–3, जे0एन0कॉलेज गेट, मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी/जयनगर/फुलपरास/झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, मधुबनी/अपर समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी/प्रभारी आई0टी0 मैनेजर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल से पत्र भेजने हेतु प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी
एवं समाहर्त्ता, मधुबनी।